महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

क्रमांकःएफ.14(   )शैक्ष.II / मदसविवि / 2017 / 23632

दिनांकः 2.11.17

अधिसूचना

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 29 मई, 2017, भारत का राजपत्र सं. 237 दिनांक 9 जून, 2017 के क्रम में माननीय कुलपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 19 (4) के तहत् प्रदत्त आदेशों की अनुपालना में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 में पुनः संशोधन करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 (National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (Amendment) Regulation, 2017) **(संलग्न परिशिष्ठ–1)** विश्वविद्यालय एवं सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रवृत्त किये जाते हैं। उक्त आदेश प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक में प्रतिवेदनीय होंगे।

भवदीय,
Sd
कुलसचिव
दिनांकः 2.11.17

क्रमांकःएफ.14(   )शैक्ष.II / मदसविवि / 2017 / 23633-933

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. डीन–महाविद्यालय, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
2. प्रो. नगेन्द्र सिंह, डीन–शिक्षा संकाय, क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान, पुष्कर रोड़, अजमेर।
3. समस्त प्राचार्य, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर से सम्बद्धता प्राप्त समस्त महाविद्यालय
4. प्रभारी, शिक्षा विभाग, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
5. सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली।
6. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
7. परीक्षा नियंत्रक / वित्त नियंत्रक, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर।
8. समस्त उपकुलसचिव / सहायक कुलसचिव / अनुभागाधिकारी, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।
9. वेब एडमिनीस्ट्रेटर, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त अधिसूचना विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर अवलोड करने का श्रम करें।
10. निजी सचिव–कुलपति / निजी सहायक–कुलसचिव, मदस विश्वविद्यालय, अजमेर ।

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

उपकुलसचिव (शैक्ष.II)

7834/2017/Regulation Section-HQ

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 237] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 9, 2017/ज्येष्ठ 19, 1939
No. 237] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 9, 2017/ JYAISTHA 19, 1939

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2017

फा. सं. 51–1/2015/राअशिप(एनएंडएस).—राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 (1993 का 73वां) के खण्ड 32 के उपखण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (विनियम मानदंड तथा क्रियाविधि) विनियम, 2014 में पुनः संशोधन करते हुए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एतद्द्वारा निम्न विनियमों को चिन्हित करती है:–

1. लघु शीर्ष और प्रवर्तनः

   (1) ये विनियम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदण्ड तथा क्रियाविधि) (संशोधन) विनियम, 2017 कहलाएंगे।

   (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2014 में (इसके बाद उक्त विनियम के साथ में संदर्भित) परिशिष्ट 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12 तथा 13 में, पैराग्राफ 4 में निम्नलिखित पैराग्राफ सम्मिलित होगा, जैसेः

   "4.4. आरक्षणः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों/विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों तथा अन्य वर्गों के लिए आरक्षण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार होगा जैसा कि उक्त सरकार में सेवा के अन्य सभी वर्गों पर लागू है।"

3. उक्त नियमों में परिशिष्ट 3, पैराग्राफ 3 में उप–पैराग्राफ 4.6 के बाद निम्नलिखित उप–पैराग्राफ सम्मिलित होगा, जैसेः

   "4.7. आरक्षणः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों/विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों तथा अन्य वर्गों के लिए आरक्षण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार होगा जैसा कि सरकार में सेवा के सभी अन्य सभी वर्गों पर लागू है।"

4. उक्त नियमों में परिशिष्ट 5, 14 तथा 15, पैराग्राफ 5 में उप–पैराग्राफ 5.3 के बाद निम्नलिखित उप–पैराग्राफ सम्मिलित होगा, जैसेः

   "5.4. आरक्षणः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों/विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों तथा अन्य वर्गों के लिए आरक्षण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार होगा जैसा कि सरकार में सेवा के अन्य सभी वर्गों पर लागू है।"

5. उक्त नियमों में परिशिष्ट 9 तथा 10 में, पैराग्राफ 6, उप–पैराग्राफ 6.4 के बाद निम्नलिखित उप–पैराग्राफ सम्मिलित होगा, जैसेः

"6.5. आरक्षणः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों/विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों तथा अन्य वर्गों के लिए आरक्षण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार होगा जैसा कि सरकार में सेवा के अन्य सभी वर्गों पर लागू है।"

6. उक्त नियमों में परिशिष्ट 13 में, पैराग्राफ 5, उप–पैराग्राफ 5.5 के बाद निम्नलिखित उप–पैराग्राफ सम्मिलित होगा, जैसेः

"5.6. आरक्षणः अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ी जातियों/विभिन्न दिव्यांग व्यक्तियों तथा अन्य वर्गों के लिए आरक्षण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार होगा जैसा कि सरकार में सेवा के अन्य सभी वर्गों पर लागू है।"

7. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट 3 में –

(क) उप–पैराग्राफ 5.2 (क) में "प्राचार्य/विभागाध्यक्ष" शीर्षक के अन्तर्गत मद (ii) के स्थान पर निम्नलिखित मदों को रखा जाएगा, जैसेः–

"(ii) शिक्षा अथवा शिक्षा संस्थाओं में संचालित किसी शिक्षाशास्त्रीय विषय में पीएच.डी उपाधि

(iii) किसी अध्यापक शिक्षा संस्था में पांच वर्ष का अध्यापन का अनुभव।",

(ख) 'सी' के बाद निम्नलिखित सम्मिलित होगा, जैसेः–

"घ. उपरोक्त योग्यताएं पूरी करने के अलावा अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करनी होगी। किन्तु जिन अभ्यर्थियों के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. की उपाधि है, अथवा प्रदान की गयी है, तो उन्हें विश्वविद्यालयों या कालेज या संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर अथवा समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने की शर्त से छूट मिलेगी।"

8. उक्त विनियमों में परिशिष्ट–4, पैराग्राफ 5, उप पैराग्राफ 5.2 में–

(क) सी (ii) के बाद और "वांछनीय" के बीच में निम्नलिखित टिप्पणी सम्मिलित होगी, जैसेः–

टिप्पणी – *"उपरोक्त योग्यता पूरी करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करनी होगी। किन्तु जिन अभ्यर्थियों के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) विनियम 2009 के अनुसार पीएच.डी. की उपाधि है, अथवा प्रदान की गयी है, तो उन्हें विश्वविद्यालयों या कालेज या संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर अथवा समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने की शर्त से छूट मिलेगी"*

(ख) सी (ii) के बाद, प्रविष्टि "वांछनीयः विषय विशेषज्ञता के साथ शिक्षा में पीएच.डी. उपाधि" को छोड़ दिया जाएगा।

9. उक्त विनियमों में, परिशिष्ट–13, पैराग्राफ 5, उप–पैराग्राफ 5.2 में,

(क) सी में, प्रविष्ठि "वांछनीयः विषय विशेषज्ञता के साथ शिक्षा में पीएच.डी. की उपाधि" को छोड़ दिया जाएगा।

(ख) डी के बाद, निम्नलिखित सम्मिलित होगा, जैसेः

"ई. "उपरोक्त योग्यता पूरी करने के अतिरिक्त अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा संचालित राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करनी होगी। किन्तु जिन अभ्यर्थियों के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (पीएच.डी. उपाधि प्रदान करने हेतु न्यूनतम मानक तथा प्रक्रिया) विनियम, 2009 के अनुसार पीएच.डी. की उपाधि है, अथवा प्रदान की गयी है, तो उन्हें विश्वविद्यालयों या कालेज या संस्थाओं में सहायक प्रोफेसर अथवा समकक्ष पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) उत्तीर्ण करने की शर्त से छूट मिलेगी।"

संजय अवस्थी, सदस्य सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./102/17]

टिप्पणीः–

(i) प्रमुख विनियम दिनांक 01 दिसम्बर, 2014 की अधिसूचना सं. फा. 51–1/2014/राअशिप (एन एंड एस) द्वारा भारतीय गजट, असाधारण, भाग–III, अनुच्छेद 4 में प्रकाशित हुए थे।

(ii) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानक तथा क्रियाविधि) संशोधन विनियम, 2017, अधिसूचना संख्या फा. 51–1/2014/एनसीटीई (एन तथा एस), दि. 29 अप्रैल, 2017 द्वारा भाग III, खंड–4 में प्रकाशित किए गए।

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2017

F. No. 51-1/2015/NCTE (N&S).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 32 of the National Council for Teacher Education Act, 1993 (73 of 1993), the National Council for Teacher Education hereby marks the following regulations further to amend the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations, 2014, namely:—

1. **Short title and commencement:—**

   (1) These regulations may be called the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) (Amendment) Regulations, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Council for Teacher Education (Recognition Norms and Procedure) Regulations 2014 (hereafter referred to as the said regulation), in Appendixes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 11, 12 and 13, in paragraph 4, the following paragraph shall be inserted namely:—

   "4.4. Reservation: The reservation for Scheduled Castes/Scheduled tribes/Other Backward Castes/differently abled persons and other categories shall be as per the extant policy of the Central Government or State Government as applicable to all other categories of service in said Government."

3. In the said regulations, in Appendix 3, in paragraph 3, after sub-paragraph 4.6, the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

   "4.7. Reservation: The reservation for Scheduled Castes/Scheduled tribes/Other Backward Castes/differently abled persons and other categories shall be as per the extant policy of the Central Government or State Government as applicable to all other categories of service in Government."

4. In the said regulations, in Appendixes 5, 14 and 15, in paragraph 5, after sub- paragraph 5.3 the following sub-paragraph shall be inserted, namely:—

   "5.4. Reservation: The reservation for Scheduled Castes/Scheduled tribes/Other Backward Castes/differently abled persons and other categories shall be as per the extant policy of the Central Government or State Government as applicable to all other categories of service in Government."

5. In the said regulations, in Appendix 9 and 10, in paragraph 6, after sub paragraph 6.4, the following sub-paragraph shall be in inserted, namely:—

   "6.5. Reservation: The reservation for Scheduled Castes/Scheduled tribes/Other Backward Castes/differently abled persons and other categories shall be as per the extant policy of the Central Government or State Government as applicable to all other categories of service in Government.".

6. In the said regulations, in Appendixes 13 in paragraph 5, after sub-paragraph 5.5, the following paragraph shall be in inserted, namely:—

   "5.6. Reservation: The reservation for Scheduled Castes/Scheduled tribes/Other Backward Castes/differently abled persons and other categories shall be as per the extant policy of the Central Government or State Government as applicable to all other categories of service in Government.".

7. In said regulations, in Appendix 3, —

   (a) in sub-paragraph 5.2 in (A), under the heading "Principal /HOD", for item (ii), the following items shall be substituted, namely :—

   "(ii) a Ph. D Degree in Education or in any Pedagogic subject offered in the Institutions.

   (iii) five years of teaching experience in a Teacher Education Institution.",

(b) after 'C', the following shall be inserted, namely :—

"D. *Besides fulfilling the above qualification the candidate shall have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by University Grants Commission. Provided candidates, who are, or have been awarded Ph.D. degree in Education in accordance with the University Grant Commission (Minimum Standard and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulation 2009, shall be exempted from the requirement of the clearing of NET for appointment as Assistant Professor or equivalent position in Universities or college or institutions.*".

8. In the said regulations in Appendix -4, in paragraph 5 in sub paragraph 5.2, —

(a) after C (ii) and between "Desirable" the following Note shall be inserted namely:—

Note – "*Besides fulfilling the above qualification the candidate shall have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by University Grants Commission. Provided candidates, who are, or have been awarded Ph.D. degree in Education in accordance with the University Grant Commission (Minimum Standard and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulation 2009, shall be exempted from the requirement of the clearing of NET for appointment as Assistant Professor or equivalent position in Universities or college or institutions*",

(b) after C (ii), the entry "Desirable: Ph.D. degree in Education with subject specialisation" shall be omitted.

9. In the said regulations, in Appendix -13, in paragraph 5, in sub paragraph 5.2,

(a) in C, the entry "Desirable: Ph.D. degree in Education with subject specialisation" shall be omitted,

(b) after D, the following shall be inserted, namely:—

"E. *Besides fulfilling the above qualification the candidate shall have cleared the National Eligibility Test (NET) conducted by University Grants Commission. Provided candidates, who are, or have been awarded Ph.D. degree in Education in accordance with the University Grant Commission (Minimum Standard and Procedure for Award of Ph.D. Degree) Regulation, 2009, shall be exempted from the requirement of the clearing of NET for appointment as Assistant Professor or equivalent position in Universities or college or institutions.*"

SANJAY AWASTHI, Member-Secy.

[ADVT.- III/4/Exty./102/17]

Note:—

(i) The Principal regulation were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III Section 4, vide notification number F.51-1/2014/NCTE (N&S), dated 1st December, 2014.

(ii) The National Council for Teacher Education (Recognition Norms & Procedures) Amendment Regulations, 2017 were published, Part III, Section 4, vide notification number F.51-1/2014/NCTE (N&S), dated 29th April, 2017.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.06.12 22:38:33 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.